संख्या-17 /2023/001-ई 2449443 60 3 2023 सी 351539

प्रेषक,

दिनेश चन्द्र पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 27 जुलाई, 2023

विषय:-वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-49 राजस्व पक्ष में उ0प्र0 राज्य समाज कल्याण बोर्ड के लिये वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-549/निदे0म0क0/अनुदान/स0क0बो0/धनआ0/2023-24, दिनांक 28.06.2023 के अनुक्रम में श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता-03-राज्य समाज कल्याण सलाहकार परिषद को उसके मुख्यालय के अधिष्ठान हेतु सहायता के अन्तर्गत 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्रावधानित धनराशि रू0-22.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0-5.5 लाख एवं 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में प्रावधानित कुल धनराशि रू0-91.38 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0-22.84 लाख तथा अनुदान सं0-49 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता-04-राज्य समाज कल्याण सलाहकार परिषद को परिवार व बाल कल्याण परियोजनाओं के लिये अनुदान के अन्तर्गत प्रावधानित कुल धनराशि रू0-13.20 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0-6.60 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17.03.2023 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) निदेशक, महिला कल्याण यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नही है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(3) बजट प्रावधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, महिला कल्याण द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्यमद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

(5) अवमुक्त धनराशि का आहरण एक मुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(6) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा योजना हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों/गाइडलाइन का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2235021900300 (राज्य समाज कल्याण सलाहकार परिषद् को उसके मुख्यालय के अधिष्ठान हेतु सहायता)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021900300 राज्य समाज कल्याण सलाहकार परिषद् को उसके मुख्यालय के अधिष्ठान हेतु सहायता	20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	5,50,000 (रुपये पांच लाख पचास हजार मात्र)
2	049	2235021900300 राज्य समाज कल्याण सलाहकार परिषद् को उसके मुख्यालय के अधिष्ठान हेतु सहायता	31 सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	22,84,000 (रुपये बाईस लाख चौरासी हजार मात्र)
	कुल			28,34,000 **(रुपये अट्ठाईस लाख चौंतीस हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2235021900400 (राज्य समाज कल्याण सलाहकार परिषद को परिवार व बाल कल्याण परियोजनाओं के लिये अनुदान)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021900400 राज्य समाज कल्याण सलाहकार परिषद को परिवार व बाल कल्याण परियोजनाओं के लिये अनुदान	20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	6,60,000 (रुपये छह लाख साठ हजार मात्र)
	कुल			6,60,000 **(रुपये छह लाख साठ हजार मात्र)**

महायोग	34,94,000 (रुपये चौंतीस लाख चौरानवे हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(दिनेश चन्द्र पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- /2023/001-ई 2449443 60 3 2023 सी 351539, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- सचिव, उ0प्र0 राज्य समाज कल्याण बोर्ड, अमीनाबाद, लखनऊ।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दिनेश चन्द्र पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।